दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यासाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 17 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 21

महत्वपूर्ण एवं खास

रैली के दौरान शिवसेना सांसद पर युवक ने चाकू से किया हमला, गंभीर रूप से घायल

मुंबई (आरएनएस)। शिवसेना के सांसद ओम राजे निंबालकर पर बुधवार को जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए है. बताया जा रहा है कि शिवसेना सांसद उस्मानाबाद क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में थे तभी एक युवक ने चाकू से उन पर हमला कर दिया. चाकू निंबालकर के हाथ में घुस गया जिससे वह गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. हमला करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरा हो गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रैली के दौरान व्यक्ति निंबालकर से हाथ मिलाने के बहाने एक समूह के साथ उनके पास पहुंचा था. निंबालकर उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने बताया कि सांसद का अभिवादन करते समय व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया और फौरन वहां से फरार हो गया. निंबालकर के हाथ में चोट आई है. गौरतलब है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर कलंबोली के पास तीन जून, 2006 को लोकसभा सांसद के पिता की उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उनके पिता कांग्रेस नेता थे. पूर्व लोकसभा सांसद पद्मसिंह पाटिल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं.

कांग्रेस नेता केसी राममूर्ति का राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता केसी राममूर्ति ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने उपराष्ट्रपति सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। राममूर्ति, कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे। राममूर्ति के इस्तीफा देने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जून 2016 में राममूर्ति राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तब कर्नाटक की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ थ, जिनमें से तीन कांग्रेस जबकि एक भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस से ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश और केसी राममूर्ति राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जबकि भातपा से निर्मला सीतारमन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

वित्त आयोग के सदस्यगणों का यूपी दौरा 19 से

नईदिल्ली (आरएनएस)। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह और आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, डॉ. अशोक लहरी, डॉ. रमेश चंद, डॉ. अनूप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 19 से 22 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में आयोग वाराणसी जाएगा और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर आकलन करेगा। आयोग हस्तकरघा केन्द्र और शहरी पुनर्द्धार परियोजना का भी आकलन करेगा। आयोग की 21 अक्टूबर को लखनऊ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ योजना भवन में बैठक होगी। इसके बाद आयोग शहरी स्थानीय निकायों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग यहां उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यापार परिसंघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगा। यात्रा के अंतिम दिन आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। आयोग के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों पर आधारित एक प्रस्तुति भी दी जाएगी।

पीआईएल पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, 15 लाख लोगों का फंसा है पैसा

नईदिल्ली (आरएनएस)। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) घोटाले में बुधवार को नया मोड़ आया. मामले के संबंध में दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया. यह याचिका बिजॉन मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 प्रतिशत इंश्योरेंस कवर की मांग की गई है.

अयोध्या विवाद पर 23 दिन में आएगा अदालत का फैसला

» सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित

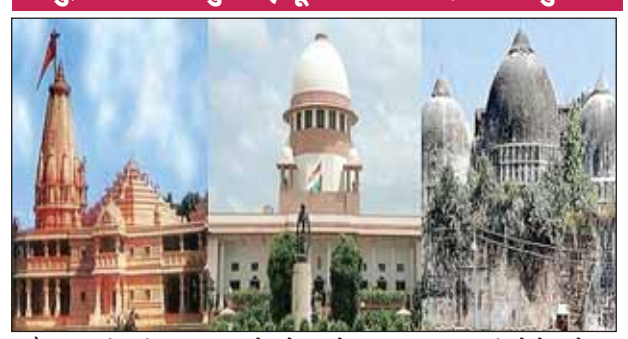

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या के ऐतिहासिक जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई अगले महीने 18 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में उससे पहले इस ऐतिहासिक मामले में फैसला आ सकता है। सीजेआई ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि आज ही शाम 5 बजे तक सुनवाई पूरी होगी लेकिन 1 घंटे पहले ही 4 बजे सुनवाई पूरी हो गई।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने संबंधित पक्षों को श्मोल्डिंग ऑफ रिलीफश्् पर लिखित नोट रखने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल मोल्डिंग ऑफरिलीफमें दोनों पक्षों की ओर से अपील के दौरान जो गुहार लगाई गई है उस गुहार से आगे-पीछे कुछ गुंजाइश बनती है क्या, इस संभावना को देखा जाता है। संवैधानिक बेंच में सीजेआई रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए. नजीर शामिल हैं।

सुनवाई के आखिरी दिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने फाड़ा नक्शा- अयोध्या मामले में नियमित सुनवाई तय होने के बाद 40 दिनों तक हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। बुधवार को सुनवाई के 40वें और आखिरी दिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष की तरफ से जमा किए एक नक्शे को फाड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी नोकझोक भी हुई। इस पर सीजेआई गोगोई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने देखा कि मामले में शामिल पक्ष एक ऐसा माहौल पैदा कर रहा है, जो सुनवाई के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सुनवाई को इस तरह से जारी नहीं रख सकते। लोग खड़े हो रहे हैं और बिना बारी के बोल रहे हैं। हम भी अभी खड़े हो सकते हैं और मामले की कार्यवाही को खत्म कर सकते हैं।श

हिंदू महासभा ने पेश किया था रामजन्मभूमि का पुराना नक्शा- सुनवाई के 40वें दिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने एक किताब व कुछ दस्तावेज के साथ विवादित भगवान राम के जन्म स्थान की पहचान करते हुए एक नक्शा जमा किया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने दस्तावेज के रेकॉर्ड में नहीं होने की बात कहते हुए आपत्ति जताई। अदालत में दस्तावेज को फाड़ने की 5 जजों की बेंच से अनुमति मांगते हुए धवन ने कहा कि क्या, मुझे इस दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति है। यह सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक नहीं और इसके बाद उन्होंने दस्तावेज के टुकड़े-टुकड़े कर दिए।

दिल्ली की अदालत ने जारी किया चिदंबरम के खिलाफपेशी वारंट

» आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में ईडी ने भी की गिरफ्तारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि उसने तिहाड़ जेल में चिदंबरम से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने पेशी वारंट जारी किया।

चिदंबरम सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 74 वर्षीय कांग्रेस नेता से पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की है। एजेंसी की ओर से वकील अमित महाजन और एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि ईडी अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान चिदंबरम के बयान भी दर्ज किये।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टली- आईएनएक्स मीडिया मामले में कानून कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिक को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से पूछताछ की इजाजत दे दी थी। साथ ही जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी की अनुमति भी दी थी।

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध लगाए जाने वाले आदेश को पेश करेगी सरकार

» सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये केंद्र को आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि राज्य में संचार प्रतिबंध लगाने, बंद और नजरबंदी करने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों को उनके सामने पेश किया जाए।

तीन जजों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि यदि सरकार हमारे सामने आदेश पेश करने के पीछ के कारणों के बारे में नहीं बताना चाहती है तो उन्हें विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। जम्मू-कश्मीर पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े विभिन्न मामलों की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद राज्य में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। जम्मू-कश्मीर में आवाजाही पर प्रतिबंध और संचार बाधित होने के मामले संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि उसने संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश एवं अधिसूचनाएं उसके सामने पेश क्यों नहीं कीं।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि वह इन प्रतिबंधों से संबंधित प्रशासनिक आदेश केवल पीठ के अध्ययन के लिए उच्चतम अदालत में पेश करेंगे। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई शामिल हैं। मेहता ने पीठ ने कहा, 'हम उन्हें उच्चतम न्यायालय के सामने पेश करेंगे। राष्ट्रहित में लिए गए प्रशासनिक फैसलों की अपील पर कोई नहीं बैठ सकता। केवल न्यायालय ही इसे देख सकती है और याचिकाकर्ता निश्चित ही इसे नहीं देख सकते।' मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर में संचार पर लगाए गए प्रतिबंधों संबंधी परिस्थितियों में बदलाव आया है और वह इस मामले में ताजा जानकारी देते हुए एक शपथपत्र दायर करेंगे। पीठ ने जब घाटी में मोबाइल सेवाएं बहाल होने की मीडिया रिपोर्टों का जिक्र किया तो एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केवल पोस्टपेड मोबाइल चल रहे हैं लेकिन प्राधिकारियों ने मंगलवार को एसएमएस सेवाएं रोक दी थीं।

चावला ने नए सीजीए का कार्यभार ग्रहण किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। जे.पी.एस. चावला ने बुधवार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया।

भारत सरकार ने जे.पी.एस. चावला, जो 1985-बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस)अधिकारी हैं, को 15 अक्टूबर से नियमित आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है। हालांकि जे.पी.एस. चावला 1 सितंबर से सीजीए के रूप में कार्य कर रहे हैं।

चावला ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग में स्नातक (बीई) किया है। सिविल सेवा में आने से पहले ने चार वर्षों तक सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरिंग उपक्रमों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ कार्य किया है। अपने 34 वर्षों के करियर के दौरान उन्होंने प्रसार भारती, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन और पर्यटन तथा कृषि जैसे कई मंत्रालयों / विभागों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कैडर पदों पर कार्य किया है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ भी काम किया है और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर लिमिटेड (पीपीएल) में निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया है।

सीजीए का पदभार संभालने से पहले, चावला ने मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) के प्रमुख के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने जीएसटी का रोलआउट के राष्ट्रीयकरण से पहले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) की लेखा प्रक्रिया और परिचालन को अंतिम रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हिजबुल कमांडर समेत मार गिराए तीन आतंकी, भारी गोलाबारूद बरामद

» सेना को मिली बड़ी कामयाबी

अनंतनाग (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के पजलपोरा में घंटों चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिद्दीन के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिद्दी का कमांडर नासिर चद्रु भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी। सुरक्षाबलों को मंगलवार देर रात आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। जिसके बाद से सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर लिया।

आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद बरामद किए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन हमला किया। सोमवार को शोपियां में सेब लाद रहे ट्रक के चालक की हत्या के बाद मंगलवार शाम को पुलवामा चौक पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। हालांकि, ग्रेनेड सड़क पर गिरकर फटा नहीं। इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था।

ट्रक चालक की हत्या मामले में 15 संदिग्ध हिरासत में- इस बीच शोपियां में ट्रक चालक की हत्या के बाद पुलिस ने 15 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को पता चला है कि घटना में चार आतंकी शामिल थे, जिनमें एक के पाकिस्तानी होने का शक है।

किरण उनियाल ने बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल की पत्नी किरण उनियाल ने महिला वर्ग में तीन मिनट में एक पैर के घुटने से 263 वार और एक मिनट में बारी-बारी से दोनों घुटनों से 120 वार करने के दो व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके पहले इसी वर्ग में 177 वार और 102 वार करने का रिकॉर्ड था। उनके दोनों रिकॉर्डों का लक्ष्य लड़कियों और महिलाओं को आत्म रक्षा के लिए मार्शल आर्ट को प्रोत्साहन देना है। तीन मिनट में एक पैर के घुटने से 263 वार का रिकॉर्ड बनाने के क्रम में उन्होंने पुरुष वर्ग के 226 वार के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

उल्लेखनीय है कि उनियाल ने तीन मिनट में एक हाथ की कोहनी से 466 वार करने का पहला व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। यह कारनामा जनवरी, 2019 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधिकारिक वीडियो में भी शानदार रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है।

उनियाल ने अब तक 15 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें मार्शल आर्ट, फिटनेस और सामाजिक कार्य में 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हैं।

युवा जनजातीय महिलाओं को मिलेगा डिजिटल कौशल प्रशिक्षण

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 'गोल' (जीओएएल-गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) के दूसरे चरण की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा के लिए आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस साल मार्च में शुरू हुए इस कार्य 'गोल' के जरिए वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन और कला क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है, ताकि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें। कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक भारत के जनजातीय बहुल जिलों में 5,000 युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए 'गोल' कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमांत युवा महिलाओं का प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा।

लोक-लुभावन उपायों से विकास प्रभावित होंगेः नायडू

» उपराष्ट्रपति ने पीईएस विश्वविद्यालय के कानून के छात्रों से की बातचीत

नईदिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने चुनावों की पूर्व-संध्या पर मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन उपायों के विरूद्ध आज राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे विकास पर होने वाले खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में बुधवार को बैंगलुरू के कानून के छात्रों से बातचीत करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा लोकतंत्र को मजबूत करना जनता के हाथ में है। उन्होंने कहा मतदान करना केवल एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व भी है। उन्होंने लोगों से मांग करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय 4 सी- करेक्टर (चरित्र), कंडक्ट (व्यवहार), कैलिबर (बुद्धि) और कैपेसिटी (क्षमता) को ध्यान में रखें।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोग अन्य 4 सी- कास्ट (जाति), कम्युनिटी (समुदाय), कैश (धन) और क्रिमिनलिटी (अपराध) को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन करते समय लोगों को सोच-विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे एक समय में ही पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए राज्यों में किसी कारण से स्थानीय निकायों के चुनावों को स्थगित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए।

नायडू ने कहा कि न्याय तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ता महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थिर और समृद्ध समाज की नींव तैयार होती है।

विभिन्न न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में लंबित मुकदमें के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में लगभग 60,000 मुकदमें लंबित हैं और उच्च न्यायालयों में लगभग 44 लाख मुकदमें हैं।